न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 132/2018 **दायरा दिनांक : 07.08.2018**

उनवान

1— रामचन्द्र आत्मज श्री भैरूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां

2— रामेश्वर आत्मज श्री भैरूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मोरपाल आत्मज श्री रामकिशन, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां

2— मानसिंह आत्मज श्री रंगलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां

3— रामप्रसाद आत्मज श्री रंगलाल जाति मीणा, निवासी ग्राम झाारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां

4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रघुवीर प्रसाद मीना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 28.05.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 171/2017 निर्णय दिनांक 25.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में मोरपाल व मानसिंह ने एक दावा अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि खसरा नम्बर 180 रकबा 0.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.85 हेक्टर आराजी वाके ग्राम कनोटिया तहसील अटरू में स्थित है जिस पर आने जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 181 की मेड़ पर 12 फुट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग उपभोग रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 करते चले आ रहे हैं किन्तु अपीलांट ने हंकाई करके उक्त रास्ते को समाप्त कर दिया है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 179 व 180 में आने जाने के लिये खसरा नमबर 181 जो कि अपीलांट के खाते व कब्जे काश्त की भूमि है में से 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम कर रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व लोक अदालत में तहसीलदार अटरू की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपील स्वीकार कर अपीलांट के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 2.13 हेक्टर में से 70 X 4 = 280 यानि = 0.03 हेक्टर आराजी पर रास्ता दिये जाने में त्रुटि की है क्योंकि अपीलांट रामचन्द्र उक्त आराजी का खातेदार टीनेन्ट एवं काबिज काश्तकार है । वादग्रस्त आराजी में केवल सुविधा के लिये रास्ता कायम नहीं किया जा सकता । रेस्पोडेंट अपनी खातेदारी की आराजी में आने–जाने व कृषि यंत्र लाने व ले जाने का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में धारा 251 अ का प्रार्थना पत्र पोषणीन नहीं था । अतः अपील

अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतः उचित है और न्यायिक प्रक्रिया की पालना की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2018 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा